# समाहरणालय, मुंगेर।

**(जिला पंचायत राज कार्यालय)**

## आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,संग्रामपुर के पत्रांकः–497, दिनांक 02.07.2014 एवं 692, दिनांक 22.08.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंघेश्वर पासवान, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज ददरीजाला एवं दुर्गापुर, प्रखंड कार्यालय संग्रामपुर के द्वारा दिनांक 20.06.2014 को निबंधित डाक के द्वारा बिना अवधि दर्शाये अवकाश हेतु आवेदन पत्र कार्यालय को भेजा गया था, जिसे अस्वीकृत करते हुए 04.07.2014 तक योगदान करने का निर्देश दिया गया था। उक्त पत्र को तामिला हेतु विशेष दूत भेजा गया था। विशेष दूत के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री पासवान, पंचायत सचिव, के द्वारा उक्त पत्र पढ़ कर छुट्टी में होने की बात बोलकर पत्र नहीं लेने का प्रतिवेदन दिया गया, ग्राम पंचायत राज ददरीजाला एवं दुर्गापुर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु ग्राम पंचायत राज ददरीजाला का प्रभार श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, पंचायत सचिव एवं ग्राम पंचायत राज दुर्गापुर का प्रभार श्री आनन्दी प्रसाद सिंह, पंचायत सचिव को आवंटित करते हुए प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपके द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया। पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर के ज्ञापांक 638, दिनांक 04.08.2014 के द्वारा उक्त दोनो पंचायतों का अभिलेख, संचिका, आवश्यक कागजातों एवं पंजी, इत्यादि को प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश देते हुए पत्र का तामिला हेतु आपके आवासीय पता पर मो0 जमाल, कार्यालय परिचारी को भेजा गया था। मो0 जमाल, कार्यालय परिचारी के द्वारा पत्र तामिला के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया कि श्री सिंघेश्वर पासवान, पंचायत सचिव घर पर [redacted] मौजूद नहीं होने, उनकी पत्नी के द्वारा यह बताने की डॉक्टर के पास गये है, कब आयेंगे, इसका पता नहीं होने का प्रतिवेदन दिया गया। पुनः उक्त पत्र को दिनांक 08.08.2014 को आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है। ग्राम पंचायत राज ददरीजाला एवं दुर्गापुर पंचायत का प्रभार नहीं सौंपने के कारण पंचायत का कार्य एवं समाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण का कार्य नहीं हो पाया है।

अतः उपरोक्त आलोक में ग्राम पंचायत राज ददरीजाला एवं दुर्गापुर का प्रभार नहीं सौपने, पत्र नहीं लेने एवं दोनो पंचायत का कार्य बाधित करने, आदेश अवहेलना का आरोप प्रमाणित होने के कारण श्री पासवान, पंचायत सचिव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 09(01) (क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री पासवान, पंचायत सचिव का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, हवेली खड़गपुर निर्धारित किया जाता है। साथ ही निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 10 के आलोक में निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/- 6.9.14
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.– संचिका संख्या – 09–18/2014 527 /पं0, दिनांक 08/09/2014

प्रतिलिपि :– श्री सिंघेश्वर पासवान, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज दुर्गापुर एवं ददरीजाला (प्रखंड कार्यालय, संग्रामपुर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता विभागीय जाँच, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर/हवेली खड़गपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को उनके पत्रांक 692, दिनांक 22.08.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि श्री पासवान, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज दुर्गापुर एवं ददरीजाला के विरूद्ध विधिवत् विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' का गठन कर साक्ष्य के साथ अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।साथ ही दोनों पंचायतों का पूर्ण प्रभार कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

ह0/- 6.9.14
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

d:\order andi pd singh 11-08-2014.docx